<u>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केन्द्र के सृजन के लिए मार्गनिर्देश</u>

1. परियोजना/स्कीम का शीर्षक

'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) केन्द्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केन्द्र (जिसे इसमें इसके बाद केन्द्र कहा गया है) की स्थापना लागू व्यवसाय पद्धति अपनाने एवं स्टैंडअप इंडिया पहलों का लाभ उठाने संबंधी सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केन्द्रीय सरकार लोक प्रापण नीति के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की जाती है।

इस घोषणा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 'उद्यम संस्कृति'को संवर्धित करना है। इससे लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीवीएसई) भी समर्थ होंगे जिन्हें सरकार ने प्रापण के लिए रखा हुआ है। यह लोक प्रापण नीति 2012 में निर्धारित की गई है कि 20 प्रतिशत का 20 प्रतिशत अर्थात् प्रापण का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से मंत्रालयों, विभागों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में उद्यमिता विकसित करने के लिए सरकार को भी समर्थ करेगाजो वर्तमान में बहुत कम स्तर पर है।

2. इस स्कीम को इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस स्कीम को स्वीकृति की तारीख से 31.03.2020 तक लागू होने का प्रस्ताव है।

4. कुल परियोजना लागत वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए 490 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

5. परियोजना के लिए औचित्य

भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए लोक प्रापण नीति में प्रावधान है कि केन्द्रीय मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल प्रापण का 20 प्रतिशत सूक्ष्मऔर लघु उद्यमों (एमएसई) से किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु

उद्यमों (एमएसई) से ऐसे प्रापण का 20 प्रतिशत अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के कुल प्रापण का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से किया जाएगा।

वर्तमान में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वस्तुओं और सेवाओं के कुल प्रापण का 0.5 प्रतिशत से कम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र का प्रयोजन लोक प्रापण में अधिक प्रभावी भागीदारी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को समर्थ करना है। केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति की जनसंख्या में उद्यमिता विकसित करने के लिए सरकार को भी समर्थ करेगा।

पहला कार्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के बारे में डाटा एकत्रित करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र लोक प्रापण नीति में प्रभावी भागीदारी के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उद्योग संघों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के साथ कार्य करेगा। सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आपूर्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को समर्थ करने के लिए नेटवर्किंग, परामर्श, पथप्रदर्शन तथा सॉफ्ट इंटरवेंशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उद्योग संघों, इंक्यूबेटरों, परामर्शदाताओं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सहयोग से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र इस संबंध में कार्य करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र स्कीम इस कार्य को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए समर्थ करेगी।

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र का ढांचा

लगभग 20 कर्मचारियों के साथ एक विशेष प्रकोष्ठ एनएसआईसी में सृजित किया जाएगा। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र का कोर होगा। एनएसआईसी इसको सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय परामर्शदाता भी लगा सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संघों, इंक्यूबेटरों, परामर्शदाताओं, एमएसएमई विकास संस्थानों (एमएसएमईडीआई), जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के साथ कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, 5 व्यवसायियों/सेवा निवृत्त कार्मिकों/परामर्शदाताओं को केन्द्र की सहायता के लिए मंत्रालय में किराए पर भी लिया जाएगा। तथापि, एनएसआईसी द्वारा उन्हें भुगतान भी किया जाएगा और उसी रूप में एनएसआईसी प्रकोष्ठ के हिस्से होंगे।

एक उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र की मॉनीटरिंग एवं मार्गदर्शन के लिए उद्योग संघों, इंक्यूबेटरों, परामर्शदाताओं एवं अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ प्रस्तावित है। अध्यक्ष के रूप में अनुभवी उद्योग प्रतिनिधि के साथ एक सलाहकार समिति इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अंतर्गत कार्य करेगी।

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र के कार्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र निम्नलिखित कार्यों का कार्यान्वयन करेगा:

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके उद्यमों एवं उद्यमियों के बारे में सूचना का संग्रहण, मिलान और प्रसार करना। यह कार्य एमएसएमई डाटा बैंक से आंकड़े प्राप्त करने के बाद ही शुरू हो सकता है। प्रसार के संबंध में एमएसएमई-डीआई एवं एनएसआईसी कार्यालयों तथा विभिन्न उद्योग संघों विशेष रूप से डीआईसीसीआई से सहायता ली जाएगी।

(ii) कौशल प्रशिक्षण और ईडीपी के माध्यम से मौजूदा एवं भावी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों में क्षमता निर्माण।

(iii) डीआईसीसीआई सहित सीपीएसई, एनएसआईसी, एमएसएमईडीआई और उद्योग संघों को शामिल करते हुए बिक्रेता विकास।

(iv) प्रदर्शनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और इस प्रयोजनार्थ विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(v) नीति आयोग की समान स्कीम की भांति परामर्श के लिए एक्स बैंकर्स, उद्योगपतियों, उद्योग संघों एवं अन्य निकायों को शामिल करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को परामर्श एवं पथप्रदर्शन सहायता देना। यह परामर्श में विपणनसहायता, गुणवत्ता सुधार आदि शामिल होंगे।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए राज्यों और अन्य संगठनों के साथ कार्य करना ताकि ये उद्यम उन सभी से लाभ ले सकें। राज्य और केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के विकास के लिए उनके मौजूदा कार्यकलाप क्षेत्रों में कार्य जारी रखेंगे। लोक प्रापण एवं विकास स्कीमों के लिए राज्यों के साथ नीतिगत समर्थन।

(vii) लोक प्रापण, डीजीएसएंडडीके ई-प्लेटफार्ममें भागीदारी हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सुसाध्य बनाना और प्रगति की मॉनीटरिंग करना।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण लिंकेज की सुसाध्यता।

(ix) उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति केन्द्र का कोई अन्य कार्य शामिल कर सकती है।

8. यह एक नई स्कीम है।जैसे ही स्कीम तैयार की जाती है वैसे ही विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियों की अपेक्षा उभरेगी और बदलेगी। इसीलिए, प्रत्येक कार्यकलाप के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुमोदन के लिए सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त परियोजना अनुमोदन समिति को एनएसआईसी सहित विभिन्न संगठनों द्वारा अग्रेषित किए जाएंगे।

9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र एनएसआईसी में एक विशिष्ट प्रकोष्ठ के रूप में प्रचालन शुरू करेगा। निम्नलिखित विशिष्ट स्कीम/कार्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र द्वारा शुरू किया जाएगा:

(i) 25 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी और 1 करोड़ रूपए की समग्र निवेश सीमा के साथ एक विशेष ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। अतिरिक्त निवेश वर्तमान ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम की भॉति होगा लेकिन क्षेत्रों अथवा मशीनरी और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध नहीं होगा।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों के लिए एक विपणन सहायता स्कीम शुरू की जाएगी। उसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

(क) भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए सहायता।

(ख) घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित कर व्यापार मेलों, कार्यक्रमों, क्रेता-बिक्रेता बैठक आदि के लिए सहायता।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए विपणन सहायता हेतु अन्य कार्यकलाप।

(iii) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु पूर्ण अनुदान के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों पर विशेष ध्यान देगा।

(iv) एक विशेष अभियान एमएसएमई डाटा बैंक के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के पंजीकरण के लिए उद्योग संघों, एनएसआईसी, एमएसएमईडीआई और राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ कुछ निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(v) 500 करोड़ रूपए से अधिक वार्षिक प्रापण की शुरूआत हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए विशिष्ट संघों और परामर्शदाता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को पथप्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए नामित किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक सीपीएसई की समीक्षा बैठक दो माह में आयोजित की जाएगी।

(vi) भारत सरकार के अनुदान से विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित बहुत से इंक्यूबेटर हैं। ऐसे सभी इंक्यूबेटरों से कम से कम दो नए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(vii) मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम जो सीपीएसई अथवा बड़े निजी उद्योगों को वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान आपूर्तिकर्ता हैं और जिनका कारोबार 10 लाख रूपए से अधिक है, गहन परामर्श एवं क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध कराने के लिए लघु सूचीबद्ध किया जाएगा।

(viii) एनएसआईसी प्रमाणन उपलब्ध कराने के लिए उनके एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के पंजीकरण के लिए प्रयास करेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम जो एक विशेष सीपीएससी से परामर्श सहायता प्राप्त करना चाहेगा उसे डेटा बैंक पर ऑनलाइन एनएसआईसी को आवेदन करना आवश्यक होगा। इकाई का मूल्यांकन एनएसआईसी और संबंधित सीपीएससी द्वारा किया जाएगा। इन मूल्यांकनों के आधार पर इकाई का चयन किया जा सकता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र तथा संबंधित सीपीएसई द्वारा गहन परामर्श सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के उद्यम सीपीएसई को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। प्राय: इनका आकार बिल्कुल छोटा होता है जिससे आपूर्ति करने में सीपीएसई के लिए कठिनाई होती है। सीपीएसई को आपूर्ति शुरू करने के लिए ऐसे अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को एकीकृत करने के लिए एक प्रयास करने की जरूरत है। एकत्रीकरण भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (त्रिफेड) द्वारा की जा सकती है। राज्य सरकारों को ऐसे एकत्रीकरण शुरू करने के लिए जनजातियों का डील करने वाले

अपने संगठनों का नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे संगठनों को आवश्यक सहायता उस एकत्रीकरण कार्यकलाप में अजा/अजजा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

10. उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति

माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति बनाई जाएगी। यह समिति मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी, अजा/अजजा केन्द्र तथा अजा/अजजा उद्यमिता विकास के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करेगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) सचिव, सूलमउ

(ख) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(ग) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग या उसका प्रतिनिधि

(ड.) सचिव, लोक उद्यम विभाग अथवा उसका प्रतिनिधि

(च) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग अथवा प्रतिनिधि

(छ) अखिल भारतीय उद्योग निकायों के दो प्रतिनिधि

(ज) दलितभारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई) का प्रतिनिधि

(झ) तीन प्रतिनिधि, तीन एमएसएमई संघों के एक-एक

(ञ) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, एमएसएमई

(ट) अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक, एनएसआईसी

(ठ) अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक, सिडबी अथवा उसका प्रतिनिधि

(ड) राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधि

(ढ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित चार विख्यात एससी/एसटी उद्यमी

(ण) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

(प) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

(फ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

(ब) एमएसएमई क्रेडिट डील करने वाला ईडी, आरबीआई

11. सलाहकार समिति का ढांचा

सलाहकार समिति मॉनीटरिंग समिति के अंतर्गत कार्य करने के लिए गठित की जाएगी। इसे अध्यक्ष के रूप में एक अनुभवी उद्योग प्रतिनिधि के साथ उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित किया जाएगा।

12. अधिकार प्राप्त परियोजना अनुमोदन समिति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से स्कीम का कार्यान्वयन करेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक विशेष प्रकोष्ठ के माध्यम से स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करेगा।

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने के लिए आवेदन/प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। ये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिकार प्राप्त परियोजना अनुमोदन समिति के सदस्यों में निम्न होंगे:

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, संयुक्त सचिव (एसएमई), नीति आयोग, व्यय विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि।

13. स्कीम के कार्यकलापों के लिए प्रस्ताव/परियोजनाएं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली के कार्यालय अथवा संयुक्त सचिव, एसएमई प्रभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के कार्यालय को सीधे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

****